सप्तदश बिहार विधान सभा

त्रयोदश सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-29.11.2024 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	डॉ0 रामानुज प्रसाद, स०वि०स० श्री फते बहादुर सिंह, स०वि०स० श्री भूदेव चौधरी, स०वि०स० श्री राजवंशी महतो, स०वि०स० श्री हरि शंकर यादव, स०वि०स०	''प्रदेश में बालू के अवैध खनन और परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए बिहार खनिज समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण संशोधन नियमावली 2024 की मंजूरी के बाद अवैध खनन पर जुर्माने की राशि 10 लाख रूपये तय की गई है। उक्त संशोधन नियमावली, खनिजों के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने की बजाय वाहन मालिकों के लिए सर दर्द बन गया है। जिसके कारण अधिकांश वाहन मालिकों ने अपने गाड़ी का परिचालन बंद कर दिया है। जिससे बाजार में पर्याप्त बालु उपलब्ध नहीं रहने के चलते निर्माण कार्य प्रभावित हो रहा है। फलस्वरूप निर्माण कार्य में संलग्न मजदूरों के समक्ष भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। अतएव जनहित में बिहार खनिज समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण संशोधन नियमावली 2024 पर पुर्नविचार करने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हैं ।''	खान एवं भूतत्व विभाग

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
2.	श्री जिवेश कुमार, स०वि०स० श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह, स०वि०स० श्री मिथिलेश कुमार, स०वि०स० श्री राजेश कुमार सिंह, स०वि०स० श्री देवेश कान्त सिंह, स०वि०स० श्री निरंजन कुमार मेहता, स०वि०स० श्री पंकज कुमार मिश्र, स०वि०स०	''पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या-8प/वि-5-131/2013/पं0 /रा0/5482 पटना, दिनांक 01/10/2018 के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को निर्वाचित होने की तिथि से पद पर बने रहने तक के दौरान आपराधिक, प्राकृतिक आपदा या हिंसात्मक घटना या दुर्घटना में हुई मृत्यु की स्थिति में निर्वाचित प्रतिनिधि के परिजन को पाँच लाख रूपये अनुग्रह अनुदान की राशि भुगतान का प्रावधान किया गया है, जबकि अनुग्रह अनुदान की यह राशि निर्वाचित जन प्रतिनिधि के सामान्य मृत्यु की स्थिति में प्रावधानित नहीं है। अत: त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को सामान्य मृत्यु की स्थिति में भी पाँच लाख रूपये अनुग्रह अनुदान की राशि भुगतान का प्रावधान करने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हैं ।''	पंचायती राज विभाग

ख्याति सिंह
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-20/2024- 610 / वि०स०, पटना, दिनांक- 28 नवम्बर, 2024 ई० ।

प्रति:- माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

28.11.2024
(उमा शंकर यादव)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-20/2024- 610 / वि०स०, पटना, दिनांक- 28 नवम्बर, 2024 ई० ।

प्रति:- माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव / माननीय उप मुख्यमंत्रीगण के आप्त सचिव एवं माननीय मंत्रीगण के आप्त सचिव को क्रमश: माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्रीगण एवं मंत्रीगण के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

28.11.2024
(उमा शंकर यादव)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-20/2024- 610 / वि०स०, पटना, दिनांक- 28 नवम्बर, 2024 ई० ।

प्रति:- मुख्य सचिव, बिहार / राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय / संसदीय कार्य विभाग / खान एवं भूतत्व विभाग / पंचायती राज विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

28.11.2024
(उमा शंकर यादव)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-20/2024- 610 / वि०स०, पटना, दिनांक- 28 नवम्बर, 2024 ई० ।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / प्रभारी सचिव के प्रधान आप्त सचिव को क्रमश: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

28.11.2024
(उमा शंकर यादव)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

28.11.2024